श्रीमान्जी

प्रार्थी मक्खन सिंह पुत्र चनण सिंह जाति मजहबी निवासी चक 15एफ सैकिण्ड मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 19.12.2016 को एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाया गया था, जिसे प्रार्थी बिना खोलें वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाह श्री मुख्तयार सिंह पुत्र फौजा सिंह एवं सर्वजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री हंसराज तनेजा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर. ने की है।इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थी को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

प्र.अ.पंजीयन

हस्ताक्षर